न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी, तारानगर (चूरू)

पीठासीन अधिकारी श्री संदीप चौधरी (आर.ए.एस.)

मु.न.- 46 /2024

गुडी देवी पत्नी स्व. च्यानणमल जाति स्वामी निवासी चंगोई तहसील तारानगर जिला चूरू।

– प्रार्थीनी –

बनाम

राजस्थान सरकार जरिए तहसीलदार (राजस्व) तारानगर जिला चूरू।

– अप्रार्थी –

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 लैण्ड रेवनयू एक्ट व धारा 88 आर.टी.एक्ट.

निर्णय दिनांक 14/2/24

प्रार्थीनी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना मय शपथ पत्र में संक्षेप में तथ्य इस प्रकार से है कि प्रार्थीनी के नाम कृषि भूमि रोही मौजा चंगोई तहसील तारानगर के खसरा सं. 1201/1006 तादादी 2.4784 हेक्ट. हैं। जिसमें प्रार्थीनी का नाम गुडी पत्नी च्यानणमल अंकित है। जो गलत है, जबकि प्रार्थीनी का नाम गुडी देवी पत्नी च्यानण मल सही हैं। प्रार्थीनी के आधार कार्ड, जन आधारकार्ड तथा अन्य दस्तावेजों में प्रार्थीनी का नाम गुडी देवी पत्नी च्यानण मल है। नाम में भिन्नता होने के कारण प्रार्थीनी को कृषि ऋण, फसल बेचान आदि में काफी परेशानी का सामना करना पडता है। अब प्रार्थीनी जमाबन्दी में अपना नाम दुरूस्त करवाना चाहती है। जमाबन्दी में अपना नाम दुरूस्त करवाने के लिए प्रार्थीनी ने तहसीलदार के समक्ष प्रार्थना पत्र पेश किया था। परन्तु तहसीलदार ने बिना किसी न्यायालय के आदेश के नाम दुरूस्त करने से इंकार कर दिया। इसलिए श्रीमानजी के समक्ष प्रार्थना पत्र पेश कर रहा है। अतः प्रार्थना पत्र पेश कर निवेदन है कृषि भूमि रोही मौजा चंगोई तहसील तारानगर के खसरा सं. 1201/1006 तादादी 2.4784 हेक्ट. में प्रार्थीनी का नाम गुडी देवी पत्नी च्यानण मल किये जाने का आदेश प्रदान करें।

प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया गया। प्रार्थना पत्र प्रस्तुत रिपोर्ट पृथ्वीसिंह अ.प्र.अ. कार्यालय उपखण्ड अधिकारी तारानगर के अनुसार प्रार्थीनी गुडी देवी पत्नी च्यानण मल राजस्व रिकार्ड में दुरूस्त करवाना चाहती है। अब प्रार्थीनी अपना आधार कार्ड, राशन कार्ड व अन्य दस्तावेजों के आधार पर प्रार्थीनी लक्ष्मी के स्थान पर गुडी देवी पत्नी च्यानण मल करवाना चाहाती है। आज दिनांक तक राजस्व रिकार्ड में प्रार्थीनी का नाम गुडी पत्नी च्यानणमल दर्ज है। अतः प्रार्थीनी गुडी पत्नी च्यानणमल के स्थान पर गुडी देवी पत्नी च्यानण मल दुरूस्त किया जाकर राजस्व रिकार्ड में अंकन किया जाना उचित होगा।

पत्रावली का अवलोकन किया गया तो पाया कि पृथ्वीसिंह अ.प्र.अ. कार्यालय उपखण्ड अधिकारी तारानगर की रिपोर्ट के आधार पर एवं प्रार्थीनी द्वारा प्रस्तुत शपथ पत्र के आधार पर प्रार्थना पत्र कृषि भूमि रोही मौजा चंगोई तहसील तारानगर के खसरा सं. 1201/1006 तादादी 2.4784 हेक्ट. के राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज प्रविष्टि **गुडी** पत्नी च्यानणमल Delete कर इसके स्थान पर **गुडी देवी** पत्नी च्यानण मल दुरूस्त किया जाने के आदेश प्रदान कियें जातें है। निर्णय की प्रति तहसीलदार तारानगर को राजस्व रिकार्ड में अमलदरामद हेतु भिजवाई जावे। इस विचार न्यायालय का यह निर्णय अपीलीय निर्णय है। पत्रावली फैसल शुमार होकर दाखिल दफतर हो।

निर्णय आज दिनांक ......14/2/24............. को खुले न्यायालय में लिखाया जाकर सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी तारानगर (चूरू)

(सन्दीप चौधरी आर.ए.एस.)
पीठासीन अधिकारी एवं
उपखण्ड अधिकारी, तारानगर (चूरू)
उपखण्ड अधिकारी तारानगर (चूरू)